भूविज्ञान और खनन विभाग के संबंध में राजस्व लेखापरीक्षा नियम-पुस्तक



राजस्व लेखापरीक्षा नियम-पुस्तक
भूविज्ञान और खनन विभाग
असम



महालेखाकार लेखापरीक्षा का कार्यालय (लेखापरीक्षा) असम



REVENUE AUDIT MANUAL GEOLOGY AND MINING DEPARTMENT, ASSAM



OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) ASSAM

<u>प्रस्तावना</u>

यह नियम-पुस्तक राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा दलों का मार्गदर्शन करने, भूविज्ञान और खनन विभाग से संबंधित प्राप्तियों तथा धन वापिसयों की लेखापरीक्षा करने के लिए तैयार की गई है । यह नियम- पुस्तक एक गाईड के रूप में मानी जानी चाहिए और उसमें निर्दिष्ट लेखापरीक्षा जांचें केवल निदर्शी हैं तथा संवर्गगपूर्ण नहीं हैं।

इस नियम-पुस्तक में , भूविज्ञान और खनन विभाग, असम से संबंधित खनिज-राजस्व की वसूली, मूल्यांकन और संग्रहण के लिए कानून तथा प्रक्रिया से संबंधित संगत प्रावधान सामान्य रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यदि कानून के किसी विशेष प्रावधान का कोई उल्लेख किया गया है तो ऐसे संदर्भ का उल्लेख संगत अधिनियमों की धाराओं या उसके तहत बनाए गए नियमों के लिए किया जाना चाहिए न कि इस नियम-पुस्तक के पैराग्राफों के लिए ।

इस नियम-पुस्तक की त्रुटियां या भूल-चूक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) असम गुवाहाटी के कार्यालय के राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा सेक्टर के ध्यान में लाई जाए।

इस नियम-पुस्तक में निर्दिष्ट साम्रगी को अधिनियमों / नियमों के संशोधन के कारण और राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों और अनुदेशों के कारण तथा भारत सरकार के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अनुदेशों के कारण नियमित रूप से अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रकाशन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) असम, गुवाहाटी के कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अपने कर्तव्यों के कुशल निष्पादन एवं निर्वहन में उपयोगी मार्गदर्शिका होगी।

सुधार के लिए सुझावों का स्वागत है ।

गुवाहाटी तारीख 2 फरवरी 2018 हस्ताक्षर/-

(रश्मि अग्रवाल)

महालेखाकार

(लेखापरीक्षा)

PREFACE

This manual has been prepared for the guidance of the members of the State Receipt Audit Parties, auditing the receipts and refunds relating to the Geology and Mining Department. The manual should be treated as a guide only and the audit checks indicated therein are only illustrative and not exhaustive.

In this Manual, the relevant provisions of the law and procedure for the levy, assessment and collection on Mineral Revenues relating to Geology and Mining Department, Assam have been set out in general. In the course of audit, if any reference has to be made to a particular provision of the law, such a reference should be made to the sections of the relevant Acts or the Rules framed there under and not the paragraphs of this Manual.

Errors or omissions in the manual may be brought to the notice of the State Receipt Audit Sector of the office of the Accountant General (Audit), Assam, Guwahati.

The material contained in this manual needs to be updated regularly on account of amendment to the Acts/Rules and on account of notifications, orders and instructions issued by the State/Central Government and instructions issued by the Office of the Comptroller & Auditor General of India.

I hope that this publication will be a useful guide to the staff and officers of the Office of the Accountant General (Audit) Assam, Guwahati in the efficient functioning and discharge of their duties. Suggestions for improvement are welcome.

Guwahatí Dated 2 February 2018 Sd/-(RASHMI AGGARWAL) Accountant General (Audit)

विषय-सूची

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
I	राजस्व लेखापरीक्षा का परिचय	01 से 07
II	भूविज्ञान और खनन विभाग के बारे में संक्षिप्त जानकारी	08 से 10
III	खनिज तेल	11 से 15
IV	खनिज	16 से 20
V	आंतरिक नियंत्रण	21 से 23
VI	जाँच किए जाने के लिए लेखापरीक्षा जाँचें और रिकार्ड	24 से 25

Table of Contents

Chapter No.	Name of Chapter	Page No.
I	Introduction of Revenue Audit	01 to 07
II	Brief about of Geology & Mining Department	08 to 10
III	Mineral Oil	11 to 15
IV	Mineral	16 to 20
V	Internal Control	21 to 23
VI	Audit Checks & records to be checked	24 to 25

अध्याय - I

राजस्व लेखापरीक्षा का परिचय

1.1 सांविधानिक/सांविधिक/उत्तरदायित्व

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद **151** द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों में अंतर्निहित है।

संविधान का अनुच्छेद **151** निर्धारित करता है कि संघ और राज्यों के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों को राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन या विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा। इस प्रकार लेखापरीक्षा रिपोर्टें संघ या राज्य की संपूर्णता से संबंधित होनी चाहिए और परिणामस्वरूप न केवल व्यय को बल्कि प्राप्तियों को भी शामिल करें।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य , शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (1971 का केंद्रीय अधिनियम 56) की धारा 16 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विशेष रूप से आदेश देती है कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करे जो भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में संदेय है, और स्वयं को संतुष्ट कर ले कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएँ राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आंबटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखाओं की ऐसी परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है जो वह ठीक समझे और उनकी बाबत रिपोर्ट दे ।

1.2 लेखापरीक्षा के सामान्य सिद्धांत

1.2.1 प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा विनियम

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा मौटे तौर पर स्थायी आदेशों की नियम-पुस्तक (लेखापरीक्षा) के अध्याय-3 खंड - 2 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है। इस नियम-पुस्तक में निर्दिष्ट अनुदेश उनके अनुपूरक हैं और विशेष रूप से खनिज राजस्व की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को वर्णित करती है।

CHAPTER I

INTRODUCTION OF REVENUE AUDIT

1.1 Constitutional/Statutory responsibility

The audit of receipts is inherent in the powers vested in the Comptroller & Auditor General of India by Articles 151 of the Constitution of India.

Article 151 of the Constitution lays down that the Reports of the Comptroller & Auditor General of India relating to the accounts of the Union and the States shall be submitted to the President or the Governor of a state, as the case may be, who shall cause them to be laid before each House of Parliament or Legislature. Thus the Audit Reports must relate to the totality of the accounts of the Union or a State and consequently cover not only the expenditure but the receipts as well.

Section 16 of the Comptroller and Auditor General's (Duties Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Central Act 56 of 1971) specifically enjoins upon the Comptroller and Auditor General to audit all receipts which are payable into the Consolidated Fund of India and of each State and each Union Territory having a legislative assembly and to satisfy himself that the rules and procedures in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue and are duly observed. For that purpose, the Comptroller and Auditor General is authorised to undertake such examination of the accounts as he thinks fit and to report thereon.

1.2 General Principles of Audit

1.2.1 Audit Regulations for Receipt Audit

Audit of receipts is broadly governed by the general principles laid down in Chapter-3, Section-II of the Manual of Standing Orders (Audit). The instructions contained in this manual are supplementary thereto and describes specifically the procedure to be followed in the audit of receipts of mineral revenues.

1.2.2 विभाग का उत्तरदायित्व

यह देखना विभाग प्राधिकारियों का मुख्य उत्तरदायित्व है कि सरकार के कारण सभी प्राप्तियों का सही प्रकार से और समुचित ढंग से मूल्यांकन किया जाता है, वसूली की जाती है तथा उन्हें सरकारी खातें में जमा किया जाता है लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि कोई भुगतान जिसके लिए किसी पार्टी को भुगतान करना पड़ सकता है, वास्तव में प्राप्त किया गया है और खाते में दर्ज किया गया है तथा वे प्राप्तियाँ जिनकी विभाग की बहियों में प्रविष्टि की गई है, वस्तुतः सरकारी खातें में समय पर जमा की गई है ।

__(सी एवं एजी का एमएसओ ऑडिट का पैरा 2.3.7)_

1.2.3 पर्याप्त विनियम

लेखापरीक्षा को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि राजस्व वसूली विभाग द्वारा बनाए गए सभी अपेक्षित नियम और प्रिकयाएं राजस्व के निर्धारण , सग्रहंण की प्रभावी जांच करते हैं और स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि ऐसे विनियम तथा प्रक्रियाओं का वास्तव में पालन किया जा रहा है ।

1.2.4 लेखापरीक्षा को राजस्व प्राधिकारियों के लिए स्थानापन्न नहीं होना चाहिए

लेखापरीक्षा विभाग को किसी भी तरह से भूविज्ञान और खनन विभाग के प्राधिकारियों के लिए सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन में स्थानापन्न नहीं होना चाहिए, किन्तु लेखापरीक्षक को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि वैयक्तिक आकलन में वैधानिकता और नियमितता देखी जाती हैं और सामान्य तौर पर विभागीय मशीनरी लुटि और धोखाधड़ी के खिलाफ पर्याप्त रूप से सुरक्षित है और जिसे अब तक आंका जा सकता है, प्रक्रियाओं की गणना कानून की आवश्यकता को प्रभावी बनाने के लिए की जाती है

(सी एवं एजी का एमएसओ ऑडिट का पैरा 2.3.3)

1.2.5 लेखापरीक्षा को न्यायिक निर्णय की समीक्षा नहीं करनी चाहिए

न्यायिक निर्णय की समीक्षा करना लेखापरीक्षा विभाग का कर्तव्य नहीं है और न ही लेखापरीक्षा को सामान्य रूप से ऐसे व्यक्तिगत मामलों में अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए गए निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए जो सिर्फ उनके विवेकाधिकार में होते हैं । लेकिन यह माना जाना चाहिए कि ऐसे मामलों की जांच मूल्यांकन प्रक्रियाओं, वसूली प्रक्रियाओं, आदि की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है जहां किसी व्यक्तिगत मामले पर उपलब्ध जानकारी लेखापरीक्षा द्वारा यह पता लगाने के लिए अपर्याप्त होती है कि कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन कैसे किया जाता है । लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच के लिए आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य पर विचार कर सकता है ।

(सी एवं एजी का एमएसओ ऑडिट का पैरा 2.3.4)

1.2.2 Responsibility of the Department

It is the primary responsibility of the departmental authorities to see that all receipts due to Government are correctly and properly assessed, realised and credited to Government Account. Audit should see that any payment for which a party may be liable to pay is actually received And brought to account and that the receipts which have entered in the books of a Department correctly calculated and are, in fact, credited to the Government account in time.

(Para 2.3.7 of C&AG's MSO Audit)

1.2.3 Adequate Regulations

Audit is also to ensure that the requisite regulations and procedures have been framed by the revenue collecting department to secure an effective check on assessment, collection and to satisfy that such regulations and procedures are actually being carried out.

1.2.4 Audit not to substitute revenue authorities

The Audit Department should not in any way substitute itself for the authorities of Geology and Mining Department in the performance of the statutory duties. But audit should satisfy itself that legality and regularity are observed in individual assessment and in general that the departmental machinery is sufficiently safeguarded against error and fraud and that so far as can be judged, the procedure is calculated to give effect to the requirements of law.

(Para 2.3.3 of C&AG's M.S.O. Audit)

1.2.5 Audit not to review judicial decisions

It is not the duty of audit to review a judicial decision nor does audit normally review the judgment exercised by officers in individual cases in arrears purely falling within their discretion. But it must be recognized that an examination of such cases is an important factor in judging the effectiveness of assessment, recovery procedures, etc., where the information available on an individual case is insufficient, to enable audit to ascertain how the requirements of the law have been complied with. Audit may consider its duty to ask for any further information to enable it to examine the effectiveness of the system.

(Para 2.3.4 of C&AG's M.S.O. Audit)

1.2.6 लेखापरीक्षा के मुख्य कार्य

मूल्यांकन और धनवापसी के संबंध में लेखापरीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस तरह की नमूना जाँच द्वारा जो यह आवश्यक समझता है , स्वयं को संतुष्ट करना है जो कि आंतरिक प्रक्रियाएं पर्याप्त रूप से संभव बनाती हैं एवं वास्तव में सुनिश्चित करती है कि:

- (i) कानून के तहत मांग या वापसी की गणना के लिए आवश्यक डांटा का संग्रह और उपयोग,
- (ii) कानून द्वारा आवश्यक तरीके से कर दाताओं के लिए मांगों को शीघ्र प्रस्तुत करना,
- (iii) मांगों, वसूली और धनवापसी का नियमित लेखा-जोखा;
- (iv) वसूली का सही लेखा और आबंटन और उनका समेकित निधि में क्रेडिट,
- (v) यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के समुचित इंतजाम हैं कि करों को वसूलने या एकत्र करने या धनवापसी को जारी करने में कोई चूक या लापरवाही नहीं है ।
- (vi) करदाताओं के दावों को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाया जाता है और पर्याप्त औचित्य और समुचित प्राधिकार के सिवाए छोड़ा या कम नहीं किया जाता है
- (vii) धोखाधड़ी, डिफ़ॉल्ट या लुटियों के माध्यम से डबल रिफंड, धोखाधड़ी या जाली वापसी के आदेश या राजस्व के अन्य नुकसान तुरंत ध्यान में लाए जाते हैं और जाँच की जाती है ।

(सी एवं ए.जी. का एमएसओ आडिट का पैरा 2.3.13)

1.3 लेखापरीक्षण मानक

1.3.1 <u>प्रस्तावना</u>

लेखापरीक्षण मानक सिद्धांतों और पद्धतियों के उन प्रतिमानकों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा करने में अनुपालन करने की आशा की जाती है। ये लेखापरीक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तािक उन लेखापरीक्षण कार्यवाहियों तथा प्रक्रियाओं को अवधारण करने में सहायता मिल सके जिनको लेखापरीक्षा में लागू किया जाना चाहिए और ये वे मापदंड या मानदंड संस्थापित करते हैं जिनके प्रति लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता का मृल्यांकन किया जा सके।

1.2.6 Main functions of Audit

The most important functions of audit in relation to assessment and refunds is to satisfy itself, by such test checks as it may consider necessary, that the internal procedure adequately provides for and actually ensures:

- (i) The collection and utilisation of data necessary for the computation of the demand or refund under law,
- (ii) The prompt raising of demands on taxpayers in the manner required by law,
- (iii) The regular accounting of demands, collections and refunds,
- (iv) The correct accounting and allocation of collections and their credit to the Consolidated Fund,
- (v) That proper safeguards exist to ensure that there is no omission or negligence of levy or collect taxes or to issue refunds,
- (vi) That claims of tax/royalty/fee payers are pursued with due diligence and not abandoned or reduced except with adequate justification and proper authority, and
- (vii) that double refunds, fraudulent or forged refund orders or other losses of revenue through fraud, default or mistake are promptly brought to light and investigated.

(Para 2.3.13 of C&AG's M.S.O. Audit)

1.3 Auditing Standards

1.3.1 Introductory

Auditing Standards prescribe the norms of principles and practices, which the auditors are expected to follow in the conduct of audit. They provide minimum guidance to the auditor that helps to determine the extent of auditing steps and procedures that should be applied in the audit and constitute the criteria or yardstick against which the quality of audit results are evaluated.

1.3.2 लेखापरीक्षण मानकों की श्रेणियाँ

सी.ए.जी. के लेखापरीक्षण मानक मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

- (ii) मूल अभिधारणा
- (iii) सामान्य मानक
- (iv) क्षेत्रीय मानक

(∨) रिपोर्टिंग मानक

1.3.3 मुल अभिधारणा

लेखापरीक्षण मानकों के लिए मूल अभिधारणाएँ मूलभूत अनुमान, सतत वचन, तर्कसंगत सिद्धांत तथा अपेक्षाएं है जो लेखापरीक्षण मानकों का विकास करने में सहायता करते हैं तथा अपनी राय और रिपोर्ट तैयार करने में लेखापरीक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं ,विशेषकर उन मामलों में जहां कोई विशेष मानक लागू नहीं होते हैं ।

1.3.4 सामान्य मानक

सामान्य लेखापरीक्षण मानक लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा सस्थानों की योग्यताओं का उल्लेख करते हैं जिससे कि वे क्षेत्रीय और रिपोर्टिंग मानकों से संबंधित कार्यों को दक्ष तथा प्रभावी ढंग से पुरा कर सकें

ये मानक लेखापरीक्षकों के लिए और लेखापरीक्षा संस्थानों की सभी प्रकार की लेखापरीक्षा के लिए लागू होते हैं। ये मानक लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए सामान्य हैं : –

लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा संस्थान स्वतंत्र होने चाहिए।

- (क) लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा संस्थानों में अपेक्षित दक्षता होनी चाहिए; और
- (ख) लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा संस्थानों को लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करने में उचित सावधानी तथा सतर्कता बरतनी चाहिए। इसमें आयोजना , साक्ष्य का विवरण देने, एकत्र करने तथा मूल्यांकन करने, एवं निष्कर्षों, परिणामों और सिफारिशों की रिपोर्टिंग में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए सामान्य लेखापरीक्षण मानक वे हैं जो उन्हें निम्नलिखित के संबंध में नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाने चाहिए।

- (क) समुचित अर्हता वाले कर्मचारियों की भर्ती करने
- (ख) कर्मचारियों का विकास करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करना कि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करें और लेखापरीक्षकों तथा अपने स्टाफ की उन्नति के लिए आधार को परिभाषित करें।
- (ग) लेखापरीक्षा के संचालन से संबंधित नियम-पुस्तकें और लिखित मार्गदर्शन टिप्पणियाँ एवं अनुदेश तैयार करना।
- (घ) लेखापरीक्षा संस्थानों के भीतर उपलब्ध कौशल एवं अनुभव का समर्थन करना ऐसे कौशल की पहचान करना जो मौजूद नहीं है; लेखापरीक्षण कार्य के लिए कौशल का समुचित वितरण करना और लेखापरीक्षा कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को नियत करना तथा उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ अपेक्षित स्तर पर इसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुचित आयोजना बनाना और पर्यवेक्षण करना।(इ.)आंतरिक मानकों और प्रक्रियाओं की दक्षता एवं प्रभावकारिता की जांच करना।

1.3.2 Categories of Auditing Standards

The C&AG's Auditing standards are broadly grouped under four categories:

- (i) The Basic postulates
- (ii) The General standards
- (iii) The Field standards
- (iv) The Reporting standards

1.3.3 Basic Postulates

The Basic Postulates for auditing standards are basic assumptions, consistent premises, logical principles and requirements which help in developing auditing standards and serve the auditors in forming their opinions and reports, particularly in cases where no specific standards apply.

1.3.4 General Standards

The general auditing standards describe the qualifications of the auditor and the audit institution so that they may carry out the tasks related to field and reporting standards in a competent and effective manner.

These standards apply to all types of audit for the auditors and to the audit institutions the standards common to auditors and audit institutions are that:

- (a) The auditor and the audit institutions must be independent,
- (b) The auditor and the audit institutions must possess the required competence; and
- (c) The auditor and the audit institutions must exercise due care and concern in complying with these auditing standards. This embraces due care in planning, specifying, gathering and evaluating. Evidence, and in reporting findings, conclusions and recommendations.

The general auditing standards for the audit institutions are that they should adopt policies and procedures to:

- (a) Recruit personnel with suitable qualifications,
- (b) Develop and train employees to enable them to perform their tasks effectively and to define the basis for the advancement of auditors and other staff,
- (c) Prepare manuals and other written guidance notes and instructions concerning the conduct of audits,
- (d) support the skills and experience available within the audit institutions; identify the skills which are absent; provide a good distribution of skills to auditing tank and assign a sufficient number of persons for the audit; and have proper planning and supervision to achieve its goals at the required level of due care and concern,
- (e) Review the efficiency and effectiveness of internal standards and procedures.

1.3.5 क्षेत्रीय मानक

क्षेत्रीय मानकों का उद्देश्य प्रयोजनमूलक, व्यवस्थित और संतुलित उपाय या कार्यों के लिए मानदंड या समग्र ढांचा तैयार करना है जिनका लेखापरीक्षक को अनुपालन करना होता है। ये उपाय और कार्य जांच -पड़ताल के नियमों को प्रस्तुत करते हैं जो लेखापरीक्षक लेखापरीक्षक साक्ष्य के रूप में विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए करता है। क्षेत्रीय मानक लेखापरीक्षा कार्य करने एवं उसका प्रबंध करने के लिए ढांचा तैयार करते है। वे सामान्य लेखापरीक्षण मानकों से संबंधित है जो क्षेत्रीय मानकों द्वारा किए गए कार्य करने के लिए मल अपेक्षाएं नियत करते हैं।

सभी प्रकार की लेखापरीक्षा के लिए क्षेत्रीय मानक निम्नलिखित है:-

- (क) लेखापरीक्षक को एक ऐसे तरीके से लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी तरीके से उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा समयबद्ध ढंग से की गई है।
- (ख) प्रत्येक स्तर और लेखापरीक्षा चरण पर लेखापरीक्षा कर्मचारियों के कार्य का लेखापरीक्षा के दौरान समुचित रूप से पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और लेखापरीक्षा स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रलेखित कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए,
- (ग) लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के क्षेत्र तथा विस्तार का निर्धारण करते समय आंतरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता की जांच एवं मुल्यांकन करना चाहिए,
- (घ) नियमितता (वित्तीय) लेखापरीक्षा के दौरान, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन की नमूना जांच की जानी चाहिए,
- (ड.) लेखापरीक्षा के अंतर्गत संगठन, कार्यक्रम, कार्यकलाप या कार्य के संबंध में लेखापरीक्षक के निर्णय तथा पृष्टि के लिए सक्षम, सुसंगत और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए,
- (च) नियमितता (वित्तीय) लेखापरीक्षा के दौरान, अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा में जब लागू हो, लेखापरीक्षकों को यह निर्धारण करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटन के लिए कार्य लेखापरीक्षण मानकों का अनुपालन किया गया है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उस सीमा तक किया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए युक्तिसंगत आधार प्राप्त किया जाता है।

1.3.6 रिपोर्टिंग मानक

रिपोर्टिंग मानकों ने लेखापरीक्षा के परिणामों की संक्षेप में रिपोर्टिंग के लिए ,सटीकता ,वस्तुनिष्ठता और स्पष्टता के साथ और रचनात्मक तरीके से और उचित, निश्चयात्मक और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ढांचा तैयार किया है। प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्य के पूरा होने पर, लेखापरीक्षकको अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को उपयुक्त रूप में निर्दिष्ट करके एक लिखित रिपोर्टतैयार करनी चाहिए, इसकी अंतर्वस्तु समझने में सरल होनी चाहिए, पर्याप्त, सक्षम और संगत लेखापरीक्षा साक्ष्यों द्वारा पूरी तरह से समर्थित होनी चाहिए और स्वतंत्र ,वस्तुनिष्ठ ,निष्पक्ष, रचनात्मक और संक्षिप्त होनी चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान धोखाधड़ी के अभ्यास या पायी गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में, एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के दायरे, मुख्य निष्कर्षों, धोखाधड़ीकी संपूर्ण कार्यप्रणाली या उसके लिए अनियमितता / जवाबदेही और वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सिफारिशों , धोखाधड़ी को रोकने और सुरक्षापायों का पता लगाने के बारे में बताया जाना चाहिए।

1.3.5 Field Standards

The purpose of filed standards is to establish the criteria or overall framework for the purposeful, systematic and balanced steps or actions that the auditor has to follow. These steps and actions represent the rules of investigation that the auditor, as a seeker of audit evidence, implements to achieve a specific result. The field standards establish the framework for conducting andmanaging audit work. They are related to the general auditing standards, which set out the basic requirements for undertaking the tasks covered by the field standards.

The field standards applicable to all types of audit are:

- (a) The auditor should plan the audit in a manner, which ensure that an audit of high quality is carried out in an economic, efficient and effective way in a timely manner,
- (b) The work of the audit staff at each level and audit phase should be properly supervised during the audit, and a senior member of the audit staff should review documented work,
- (c) The auditor, in determining the extent and scope of the audit, should study and evaluate the reliability of internal control,
- (d) In conducting regularity (financial) audits, a test check should be made of compliance with applicable laws and regulations,
- (e) Competent, relevant and reasonable evidence should be obtained to support the auditors judgment and conclusions regarding the organisation, program, activity or function under audit,
- (f) In regularity (financial) audit and in other types of audit when applicable, auditors should analyse the financial statements to establish whether acceptable accounting standards for financial reporting and disclosure are complied with. Analysis of financial statements should be performed to such a degree that a rational basis is obtained to express an opinion on financial statements.

1.3.6 Reporting Standards

The reporting standards set down the framework for reporting the results of audit concisely, with accuracy, objectivity and clarity and in a constructive manner and for appropriate, conclusive and preventive follow up action. On the completion of each audit assignment, the auditor should prepare a written report setting out his observations and conclusions in an appropriate form, its content should be easy to understand, fully supported by sufficient, competent and relevant audit evidence and be independent, objective, fair, constructive and concise. With regard to fraudulent practice or serious financial irregularities detected during audit, a written report should be prepared. This report should indicate the scope of audit, main findings, total modus operandi of the fraud or the irregularity, accountability for the same and recommendations from internal control system, fraud prevention and detection measures to safeguard against recurrence of financial irregularity.

निष्पादन या धन लेखापरीक्षा के महत्व के संबंध में, रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के क्षेत्र और व्याप्ति , लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा के विस्तार,दक्षता के संबंध में मुख्य निष्कर्ष, विस्तार (विषय–वस्तु) के आर्थिक (प्रभाव सहित) पहलुओं जिनकी लेखापरीक्षा की गई और ऐसे सुधारों का सुझाव देने वाली

सिफारिशें जिनकी आवश्यकता हैं, को शामिल किया जाना चाहिए।नियमितता (वित्तीय) लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो वित्तीय विवरणों या धन लेखापरीक्षा के महत्व के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें या लागू विधियों तथा विनियमों की जांच पर अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में जांच से प्राप्त जांच के परिणामों का विवरण अर्थात सकारात्मक या नकारात्मक शामिल होना चाहिए। रिपोर्टिंग मानक नियमितता लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों पर एक रिपोर्ट देने या वित्तीय विवरणों के सेट पर अपनी राय देने के लिए लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षण संस्थान के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये मानक टिप्पणियाँ, निष्कर्ष और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षक के विवेकपूर्ण निर्णय में सहायता करने के लिए होगें तथा उनका अधिक्रमण करने के लिए नहीं होगें।

1.4 विधायी पृष्ठभूमि

1.4.1 खनिज संसाधनों का प्रबंधन

खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं जो परिमित और गैर-नवीकरणीय हैं। खनिज खोज और विकास अर्थव्यवस्था के विकास और लोगों के उत्थान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है हालाँकि यह पर्यावरण और सामाजिक संरचना में एक साथ हस्तक्षेप करता है तथापि संरक्षण एवं विकास के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखता है । खनिज संसाधनों का प्रबंधन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची (सूची-I) की प्रविष्टि 54 और राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि 23 के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है।

1.4.2 सांविधानिक और कानूनी प्रावधान-विनियामक ढाँचा

देश में खनन कार्यकलापों के संरक्षण, व्यवस्थित विकास और विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार (भारत सरकार) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडी एवं आर) अधिनियम, 1957; खनिज रियायत नियम (एमसीआर) ,1960; खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988; और कोयला नियंत्रण नियम, 2002 को अधिनियमित किया है ।

असम में खनन कार्यकलापों को उपरोक्त अधिनियमों के तहत और एमएमडी एवं आर अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए असम गौण खनिज नियम, 1994 द्वारा नियंत्रित किया जाता है । तेल और प्राकृतिक गैस के संरक्षण, विकास और निष्कर्षण को तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास)) अधिनियम (ओआरडी), 1948 और पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959 के तहत् विनियमित किया गया है।

खान और खनिजों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और नियमों के नाम निम्नलिखित है :-

- (i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957
- (ii) खनिजरियायत नियम, 1960;
- (iii) खनिज संरक्षण और विकास (एमसीडी) नियम, 1988
- (iv) खान अधिनियम, 1952
- (v) खान नियम, 1955
- (vi) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 और 2008
- (vii) कोयला खान विनियम, 1957
- (viii) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
- (ix) कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974

With regard to performance or value for money audits, the report should include a description of the scope and coverage of audit, objective of audit, area of audit, main findings in respect of the efficiency, economical (including impact) aspects of the area (subject matter) which was audited and recommendations suggesting improvements that are needed. With regard to regularity audits,

The auditor should prepare a written report which may either report on the financial statements or the value for money audit or a separate report on the tests of applicable laws and regulations. The report should contain a statement on the results of the tests to assurance i.e., positive or negative obtained from the tests. Reporting standards constitute the framework for the audit organization and the Auditor to report the results of audit regularity or performance audit or expressing his opinion on a set of financial statements. These standards are to assist and not to supersede the prudent judgment of the Auditor in observations, conclusions and report.

1.4 legislative Background

1.4.1 Management of Mineral Resources

Minerals are valuable natural resources which are finite and non-renewable. Mineral exploration and development is closely linked with development of economy and up-liftment of the people. However, as it simultaneously intervenes with the environment and the social structure, a harmony and balance is to be maintained between conservation and development.

Management of mineral resources is the responsibility of both the Central Government and the State Government in terms of entry 54 of the Union list (List I) and entry 23 of the State List (List II) of the Seventh Schedule of the Constitution of India.

1.4.2 Constitutional and Legal Provisions-Regulatory Framework

For Conservation, systematic development and regulation of mining activities in India, the Government of India (GOI) enacted the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMD&R) Act, 1957, the Mineral Concession Rules (MCR), 1960, the Mineral Conservation and Development Rules, 1988, the Colliery Control Rules, 2002.

The mining activities in Assam are governed under the above Acts and the Assam Minor Mineral Rules, 1994 framed by the State Government in exercise of the powers under the MMD&R Act. The Conservation, development and extraction of Oil and Natural gas are regulated under the Oilfield (Regulation and Development) (ORD) Act, 1948 and the Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959.

Name of different Acts and Rules relating to Mines and Minerals are:-

- (i) The Mines and Minerals (Development & Regulations) (MMDR) Act, 1957
- (ii) The Mineral Concession Rules, 1960
- (iii) The Mineral Conservation and Development (MCD) Rules, 1988
- (iv) The Mines Act, 1952
- (v) The Mines Rules, 1955
- (vi) National Mineral Policy 1993 and 2008
- (vii) The Coal Mines Regulations, 1957
- (viii) The Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973
- (ix) The Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974

- (x) कोयला नियंत्रण नियम, 2004
- (xi) पैट्रोलियम अधिनियम, 1934
- (xii) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948
- (xiii) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959
 - (xiv) असम गौण खनिज नियम, 1994

1.4.3 खनिज तेल

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 तेल क्षेत्र के विनियमन और खनिज संसाधनों के विकास के लिए प्रावधान करता है। उक्त अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत संघ सरकार ने समय- समय पर यथासंशोधित पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959 बनाए ।

1.4.4 खनिज

खनिजों को मोटे तौर पर (i) मुख्य खनिजों और (ii) गौण खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य खनिज खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में विनिर्दिष्ट औद्यौगिक प्रक्रिया है। गौण खनिज इमारती पत्थर, बजरी, निर्धारित उद्देश्यों के अलावा साधारण रेत तथा कोई अन्य खनिज हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राजपत्न में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित किया जा सकता है।

एमएमडीआर अधिनियम के तहत् , खनिज रियायत नियम (एमसीआर), 1960 खनिजों का निर्धारण करने के लिए बनाए गए थें ।

- (x) The Colliery Control Rules, 2004
- (xi) The Petroleum Act, 1934
- (xii) The Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948
- (xiii) The Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959
- (xiv) The Assam Minor Concessions Rules, 1994

1.4.3 Mineral Oil

The Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 provide for regulation of oil fields and for the development of mineral resources. Under sections 5 and 6 of the said Act, the Union Government made the Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959 as amended from time to time.

1.4.4 Minerals

Minerals are broadly divided into (i) Major Minerals and (ii) Minor Minerals. Major Minerals are industrial minerals specified in Second Schedule of Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957. Minor Minerals are building stones gravel, ordinary sand other than for prescribed purposes and any other minerals which the Central Government may, by notification in the Official Gazette declared to be minor minerals.

Under MMDR Act, Mineral Concession Rules (MCR), 1960 was made for governing the minerals.

अध्याय - II

भ्विज्ञान और खनन विभाग के बारे में संक्षिप्त जानकारी

2.1 परिचय

भूविज्ञान और खनन विभाग एक भू-वैज्ञानिक जांच है। विभाग का मुख्य उत्तरदायित्वखनिजों और भूजल संसाधनों की जांच / खोज के साथ-साथ राज्य में उत्पादित खनिजों, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का प्रबंधन है।

विभाग द्वारा किए जाने वाले भूवैज्ञानिक अन्वेषण कार्यों में राज्य के खनिजयुक्त क्षेत्रों का भूवैज्ञानिक मानचित्रणखनिज पदार्थों की कोर ड्रिलिंग और भूजल के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग एवं उत्पादन कूप, प्रयोगशाला अध्ययनों के लिए खनिज नमूनों का संग्रह आदि शामिल हैं जिनका उद्देश्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए राज्य के खनिज और भूजल संसाधनों का निर्धारण करना तथा पता लगाना है।

विभाग अन्वेषण लाइसेंस जैसे खनिज रियायतों और विभिन्न सार्वजिनक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों के खनिज, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए खनन पट्टा प्रदान करता है । विभाग खनिज और पैट्रोलियम के पट्टेदारों और लाइसेंसधारियों द्वारा लागु संगत नियमों तथा अधिनियमोंके प्रवर्तन काभी ध्यान रखता है

विभाग प्रमुख खनिजों (कोयला, चूना पत्थर), गौण खनिजों (रेत, बोल्डर, पत्थर बजरी) और खनिज तेल (कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस) से प्राप्त राजस्व का आंकलन करता है और उसे वसूल करता है जिसमें खननपट्टे के लिए आवेदन शुल्क, रॉयल्टी, अनिवार्य किराया, तल किराया और देय राशियों के विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना/शास्ति और ब्याज शामिल होता है।

2.2 संगठनात्मक संरचना

आयुक्त और सचिव, खान और खनिज विभाग, सरकारी स्तर पर प्रमुख होता है और भूविज्ञान एवं खनन निदेशक (डीजी एंड एम), असम विभाग का प्रमुख होता है जिसकी संयुक्त निदेशक, भूविज्ञानी, ड्रिलिग इंजीनियर, खनन इंजीनियर, यांत्रिक इंजीनियर, रसायनज्ञ, भूविज्ञानी, अनुसचिवीय कर्मचारी वर्ग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

1 वर्तमान में ये गौण खनिज पर्यावरण और वन विभाग द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं

CHAPTER II

BRIEF ABOUT GEOLOGY AND MINING DEPARTMENT

2.1 Introduction

The Geology & Mining Department is a Geo-scientific investigation Department. The primary responsibility of the Department is the investigation / exploration of minerals and ground water resources as well as administration of the minerals, mineral oil and natural gas produced in the State.

Geological investigation works carried out by the Department involve detailed geological mapping of mineral bearing areas, core drilling of mineral bodies, exploratory drilling and production well for ground water, collection of mineral and groundwater samples for laboratory studies, etc. with the aim of establishing mineral and ground water resources of the State for exploration for industrial purposes.

The Department takes care of grant of mineral concessions like exploration licenses and mining leases for mineral, petroleum and natural gas to various public sector as well as private sector organizations. The Department also takes care of enforcement and relevant Acts and Rules enforce by the lessees and licencees of mineral and petroleum.

The Department assesses and realises revenue from major minerals (coal, limestone), minor minerals (sand, boulder, stone gravel, etc.¹) and mineral oil (crude oil & natural gas) which comprises of application fee for mining lease, royalty, dead rent, surface rent, fines/penalties and interest for belated payment of dues.

2.2 Organisational Structure

The Commissioner & Secretary, Mines & Minerals Department, is the head at the Government level and the Director of Geology & Mining (DG&M), Assam is the head of the Department, who is assisted by Joint Director, Geologists, Drilling Engineers, Mining Engineers, Mechanical Engineers, Chemists, Geologists, Ministerial staff, etc.

¹ Presently these minor minerals are being administered by the Environment & Forest Department.

निदेशालय का जिले में कोई कार्यालय नहीं है। किन्तु रॉयल्टी आदि के निर्धारण के लिए ओआईएल, ओएनजीसी, सीआईएल आदि से मासिक/वार्षिक विवरणियां आदि प्राप्त करने के लिए डिब्रूगढ़ (2-3) अधिकारियों के साथ (कार्यरत) में एक छोटा कार्यालय है।

2.3 विभाग भूविज्ञान और विभाग, मुख्य कार्य हैं:	भूविज्ञान अनुभाग	स्वा खनिज अनुभाग	विश्लेषणात्मक अनुभाग			स्थापन केनिकल, पुस्तका	स्टोर,	के मुख्य कार्य खनन असम के निम्नलिखित
	मुख्य भूवैज्ञानिक, संयुक्त निदेशक, भूवैज्ञानिक	संयुक्त निदेशक, खनन अभियन्ता	उप . मुख्य रसायनज्ञ , वरि . रसायनज्ञ ,	मुख्य ड्रिलिग इंजीनियर, ड्रिलिग इंजीनियर	-3प –1	निदेशक	निवासी भूविज्ञानी, डिब्रूगढ़	


- खनिज और जल अन्वेषण
- खनन कार्य के लिए परिमट, लाइसेंस और पट्टों का प्रबंधन;
- रॉयल्टी और अन्य बकाया का आकलन, संग्रह और वसूली
- खनन कार्यों की निगरानी करना।
- स्टाफ के कार्यों का संचालन

2.4 खनिज और जल अन्वेषण

विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व खनिजों और भूजल संसाधनों की जांच / खोज है जिसमें खनिजयुक्त क्षेत्रों का भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज पदार्थों की कोर ड्रिलिंग और भूजल के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग एवं उत्पादन कूप, प्रयोगशाला अध्ययनों के लिए खनिज नमूनों का संग्रह आदि शामिल हैं जिनका उद्देश्य

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए राज्य के खनिज और भूजल संसाधनों का निर्धारण करना तथा पता लगाना है।

The Directorate does not have any offices in district. However, there is a small office at Dibrugarh (functioning with 2–3 Officials) for receiving the monthly/ yearly returns from OIL, ONGC, CIL, etc. for assessment of royalty, etc.



2.3 Main function of the Department

The main function of the Geology and Mining Department, Assam is

- Mineral and Water Investigation
- Management of permit, licence and lease for mining operation
- Assessment, collection and levy of royalty and other dues
- Monitoring of mining activities
- Administration of staff's function

2.4 Mineral and Water Investigation

The primary responsibility of the Department is the investigation/ exploration of minerals and ground water resources which involve geological mapping of mineral bearing areas, core drilling of mineral bodies, exploratory drilling and production well for ground water, collection of mineral and groundwater samples for laboratory studies, etc. with the aim of establishing mineral and ground water resources identifying mineral resources of the State for exploration for industrial purposes.

2.5 राज्य भृवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड (एसजीपीबी)

राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड (एसजीपीबी) का गठन 1965 में किया गया था। आयुक्त और सचिव, खान और खनिज विभाग, गोवा अध्यक्ष है, निदेशक, भूविज्ञान और खनन विभाग सदस्य सचिव और विभिन्न राज्य और केंद्रीय सरकारी संगठन जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGCL) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) आदि और अन्य अनुसंधान संस्थानों / संस्थाओं से विशेष आमंत्रित सहभागी सदस्य हैं।

प्रत्येक वर्ष एसजीपीबी के परामर्श से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो भूवैज्ञानिक मानचित्रण, राज्य में खनिज और भूजल का पता लगाना, भू-वैज्ञानिक कार्य-कलापों के लिए नए क्षेत्रों का निर्धारण करना, सदस्य, सगठनों आदि के बीच कार्यक्रम समन्वय के लिए कार्यकलापों में सहयोग करता है। एसजीपीबी अपनी वार्षिक बैठकों में खान और खनिजों का पता लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।

2.5 State Geological Programming Board (SGPB)

The State Geological Programming Board (SGPB) was constituted in the year 1965. The Commissioner and Secretary, Mines & Mineral Department, GoA is the Chair- person, the Director, Geology & Mining Department is the Member Secretary and various State & Central Government Organization such as Geological Survey of India, OIL, ONGCL, CIL, etc. and special invitees from other research institutes/institutions, etc. are participatory members.

Every year a programme is worked out in consultation with the SGPB, who co-ordinates activities on geological mapping, mineral and ground water exploration in the State, identifying new areas for geo-scientific activities, programme co-ordination among member, organization, etc. The SGPB fixed the target for investigation of mines and minerals in their annual meetings.

अध्याय-III

खनिज तेल

3.1 परिचय

तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 तेलक्षेत्रों के विनियमन के लिए और खनिज तेल संसाधनों के विकास के लिए उपबंध करता है । उक्त अधिनियम की धारा 5 **एवं 6** के तहत, केंद्रीय सरकार ने समय-समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (पी एन जी) नियम 1959 बनाए।

3.2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं

- (i) तेलक्षेत : तेलक्षेत्र से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, कच्चा तेल, परिष्कृत तेल, अंशतः परिष्कृत तेल तथा पेट्रोलियम के उत्पादों में से किसी द्रव या ठोस अवस्था वाले उत्पाद की अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई जानी है या चलाई जा रही है ।
- (ii) खनिज तेल :- खनिज तेलों के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आते हैं।
- (iii) कच्चा तेल :- कच्चे तेल "का अर्थ है तरल, चिपचिपा या ठोस अवस्था में अपने प्राकृतिक रूप में पेट्रोलियम इससे पहले कि इसे परिष्कृत किया गया हो या अन्यथा उपचारित किया गया हो जिससे पानी और बाह्य पदार्थ निकाले गए हैं।
- (iv) <u>प्राकृतिक गैस :</u> प्राकृतिक गैस का अर्थ बोर-छेद से प्राप्त गैस है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन ऐसे हाइड्रोकार्बन के संपर्क से पाए जाने वाला हीलियम शामिल नहीं है
- (▽) <u>पेट्रोलियम</u>: पेट्रोलियम "का अर्थ मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन हैं चाहे यह प्राकृतिक गैस के रूप में या तरल, चिपचिपे या ठोस रूप में हो, लेकिन पेट्रोलियम, या कोयले, या शेल, या किसी भी पदार्थ से, जिसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा या रसायनिक प्रक्रिया द्वारा कोयला, शेल या अन्य रॉक से निकाला जा सकता है .के संपर्क से प्राप्त होने वाला हीलियम शामिल नहीं है ।

3.3 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल)

पीएनजी नियम, **1959** के अनुसार इन नियमों के तहत प्रदत्त, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अलावा कोई भी व्यक्ति पेट्रोलियम के लिए अपेक्षा नहीं रखेगा। हर लाइसेंस और पट्टे में उन नियमों द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों प्रसंविदाओं और शर्तों को शामिल किया जाएगा जो लागु हैं।

CHAPTER III

Mineral Oils

3.1 Introduction

The Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 provide for regulation of oilfields and for the development of mineral oil resources. Under sections 5 and 6 of the said Act, the Central Government made the Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959 as amended from time to time.

3.2 Important Definitions

- (i) *Oil field:* Oil field means any area where any operation for the purpose of obtaining natural gas and petroleum, crude oil, refined oil, partly refined oil and any of the products of petroleum in a liquid or solid state, is to be or is being carried on.
- (ii) Mineral Oil: Mineral Oil includes natural gas and petroleum.
- (iii) *Crude Oil:* Crude oil means petroleum in its natural state in liquid, viscous or solid form before it has been refined or otherwise treated from which water and foreign substances have been extracted.
- (iv) *Natural gas:* Natural gas means gas obtained from bore holes and consisting primarily hydrocarbons but does not include helium occurring in association with such hydrocarbons.
- (v) **Petroleum:** Petroleum means occurring hydrocarbons in a free state whether in the form of natural gas or in a liquid viscous or solid form, but does not include helium occurring in association with petroleum or coal or shale or any substance which may be extracted from coal, shale or other rock by the application of heat or by a chemical process.

3.3 Petroleum Exploration Licence (PEL)

As per the PNG Rules, 1959, no person shall prospect for petroleum except in pursuance of a petroleum exploration licence granted under these rules. Every licence shall contain such of the terms covenants and conditions prescribed by those rules as are applicable.

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और सरकार तथा लाइसेंसधारी के बीच किए गए करार के संबंध में प्रत्येक लाइसेंसधारी को लाइसेंस द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में पेट्रोलियम के लिए भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण के अलावा सूचना ड्रिलिंग और परीक्षण ड्रिलिंग प्रचालनों का विशेष अधिकार होगा ।

(पीएनजी नियमों का नियम 4, 5 एंव 7)

3.4 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क दर

समय-समय पर संशोधित पी एनजी नियम, **1959** के अनुसार पीईएल के लाइसेंसधारक को अपने लाइसेंस के संबंध में वार्षिक रूप से पहले से प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के लिए गणना की गई राशि या उसके किसी भाग के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान निम्नलिखित दरों पर करना होगा :-

	25.11.2009 से प्रभावी (₹)
(і) लाइसेंस के पहले वर्ष के लिए	200
(ii) लाइसेंस के दूसरे वर्ष के लिए	400
(iii) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	2000
(iv) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	2800
(∨) लाइसेंस के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए	4000

[पीएनजी नियमों का नियम II]

3.5 लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के कुछ भाग को छोड़ देना

एमओपीएनजी ने ओएनजीसीएल और ऑयल को प्रदंत पीईएल के तहत् क्षेत्रों को छोड़ देने की प्रक्रिया का निर्धारण किया (कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ-12013/95-ओएनजी/डी-IV तारीख ${\bf 13}$ मार्च ${\bf 2002}$) । हाईड्रोकार्बन महानिदेशक (डी जी एच) द्वारा यथा स्वीकार्य कार्यक्रम के आधार पर ${\bf 4}$ (चार) वर्ष की अविध के लिए पी एन जी नियमों के अनुसार पुनः मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए और एक निश्चित कार्यक्रम के साथ अगले 1 (एक) वर्ष के विस्तार सिहत इस शर्त के साथ कि प्रचालक मूल पीईएल ब्लॉक एरिया के ${\bf 25}$ प्रतिशत को छोड़ देगा अर्थात पुनःप्रदान किया गया क्षेत्र मूलतः धारित क्षेत्र का केवल ${\bf 75}$ प्रतिशत होगा। यदि पुनः मंजूरी की अविध के दौरान कोई लीड प्राप्त की जाती है तो प्राप्त लीड या की गई खोज के मूल्यांकन के लिए अधिकतम 2 (दो) वर्ष के लिए और विस्तार प्रदान किया जा सकता है तथा प्रचालक को पीईएल एरिया के केवल उस भाग को रखने की अनुमित प्रदान की जाएगी जो इस अनुबंध के अधीक नहीं हो सकता है ।

In terms of the Act or any rules made there under and agreement made between the Government and the licensee, every licensee shall have the exclusive right to carry out in addition to geological and geophysical surveys, information drilling and test drilling operations for petroleum in the area covered by the license.

[Rule 4, 5 & 7 of PNG Rules]

3.4 Rate of Petroleum Exploration Licence (PEL) Fee

As per the PNG Rules, 1959 amended time to time, the licensee of PEL shall pay yearly in advance by way of license fee in respect of his license a sum calculated for each square kilometre or part thereof at the prescribed rate:-

	With effect from 25.11.2009 (₹)
(i) For the First year of Licence	200
(ii) For the Second year of Licence	400
(iii)For the Third year of Licence	2000
(iv)For the Fourth year of Licence	2800
(v) For the each subsequent year of Licence	4000

[Rule 11 of PNG Rules]

3.5 Relinquishment of some part of licensed area

MoPNG prescribed (Office Memorandum No. O-12013/95-ONG/D-IV dated 13 March 2002) procedure of relinquishment of areas under PELs granted to ONGCL and OIL. Re-grant should be given as per PNG Rules for a period of 4 (four) years based on the programme of work as accepted by Directorate General of Hydrocarbon (DGH) and with an extension for the next 1 (one) year with a definite work programme with the condition that the operator would relinquish 25 per cent of original PEL block area i. e. the re-granted area would only be 75 per cent of the area originally held. In case, any lead is obtained during the period of re-grant, further extension of not more than 2 (two) years may be given for appraisal of the leads obtained or discovery (ies) made and the operator may be allowed to retain only that part of the PEL area, which is relevant for appraisal of lead/ discovery subject to the stipulation that maximum area retained, cannot exceed 50 per cent of the original PEL.

पीएनजी नियमों का नियम 22 अनुबंध करता है कि किसी लाइसेंस के पूर्णतः या अशतः निर्धारण, रद्दकरण या छोड़ने पर लाइसेंसधारी ऐसे निर्धारण, रद्दकरण या त्यागने की तारीख से छह महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ इस क्षेत्र को अच्छी स्थिति और हालत में बहाल करने के बाद वितरित करता है ।

ऐसे लाइसेंस का धारक सरकार की संतुष्टि तक मानव जीवन, संपत्ति, परिवेश, समुद्री संसाधनों या नौपरिवहन के परिणामी जोखिमों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा लाइसेंसधारी किसी लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के निर्धारण , रद्दकरण या त्यागने से पूर्व क्षेत्र को सौंपने के छःमहीने के भीतर ऐसे क्षेत्र से किसी भी पेट्रोलियम सामग्री, उपकरण, औजार, मशीनरी को हटाएगा और निपटान करेगा तथा यदि लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो सरकार पेट्रोलियम सामग्री, उपकरण, औजार और मशीनरी को हटाने और उनके निपटान के लिए कार्रवाई करेगी और लाइसेंसधारी के जोखिम और लागत पर क्षेत्र को पुनः बहाल करेगी।

3.6 पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएम एल)

पीएनजी नियम, 1959 के अनुसार इन नियमों के तहत प्रदत्त, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अलावा कोई भी व्यक्ति पेट्रोलियम के लिए अपेक्षा नहीं रखेगा। हर लाइसेंस और पट्टे में उन नियमों द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों प्रसंविदाओं और शर्तों को शामिल किया जाएगा जो लागू हैं। अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और सरकार तथा लाइसेंसधारी के बीच किए गए करार के संबंध में प्रत्येक लाइसेंसधारी को ऐसे पट्टे द्वारा हस्तांतरित भूमि के नीचे या ऊपर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए खनन संक्रियाओं का विशेष अधिकार होगा।

3.7 पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएम एल) के लिए सांविधिक शुल्क की दरें ।

पीएनजी नियम, 1959 के अनुसार पेट्रोलियम खनन पट्टा (पीएमएल) का आवेदक, उसे पट्टा दिया जाने से पूर्व, प्रतिभूति जमा (एस डी) ,प्रारंभिक व्यय और, प्रारंभिक व्यय ,खनन पट्टा जैसे सांविधिक शुल्क निर्धारित दरों पर जमा करेगा ।

सांविधिक शुल्क का प्रकार	25.11.2009 से प्रभावी (`)		
(i), प्रतिभूति जमा (एस डी)	8,00,000		
(ii), प्रारंभिक व्यय	1,20,000		
(iii), खनन पट्टा	2,00,000		

(पीएनजी नियमों का नियम 6, 13(1))

3.8 पट्टा विलेख का निष्पादन और स्टांप ड्यूटी का भुगतान

भारत सरकार पीएमएल प्रदान करते समय खनन कार्य आरंभ किए जाने से पूर्व गोवा और पट्टाधारक के बीच यथानिर्धारित फार्मेट के अनुसार ऐसी अन्य प्रसंविदाओं , निबंधनों और शर्तों के संबंध में अलग पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अनुदेश देगी ।

पीएमएल विलेख के लिए भुगतान की जाने वाली स्टांप ड्यूटी का मूल्यांकन, असम में लागू भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अनुसार किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान है

कि खनन पट्टे के लिए, यह स्टांप शुल्क की वसूली के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा अनुमानित रॉयल्टी को पूरा करेगा।

Rule 22 of the PNG Rules stipulates that upon determination or cancellation or relinquishment in part or full of a license, the licensee shall deliver the area after restoring in good order and condition in accordance with international practices within six months from the date of such determination or cancellation or relinquishment and the holder of such license shall take all necessary steps to prevent consequent hazards to human life, property, environment, marine resources or navigation to the satisfaction of the Government. The Licensee shall prior to the determination or cancellation or relinquishment of a licensed area, remove and dispose of any petroleum stores, equipment, tools, machinery from such area within six months of handing over of the area and if the same is not done by the licensee, the Government shall proceed with removal and disposal of petroleum stores, equipment, tools, machinery and restore the area at the risk and cost of the Licensee.

3.6 Petroleum Mining Lease (PML)

As per the PNG Rules, 1959, no person shall mine petroleum except in pursuance of a petroleum mining lease granted under these rules. Every lessee shall contain such of the terms covenants and conditions prescribed by those rules as are applicable. In terms of the Act or any rules made there under and agreement made between the Government and the licensee, every lessee shall have the exclusive right to conduct mining operations for petroleum and natural gas in and on the land demised by such lease.

3.7 Rates of Statutory Fees for Petroleum Mining Lease (PML)

As per the PNG Rules, 1959 amended time to time the applicant for Petroleum Mining Lease (PML) shall, before the lease is granted to him deposit statutory fees such as Security Deposit (SD), Preliminary Expenses, Lease Fee as per the prescribed rates.

Type of Statutory Fee	With	Effect	From
	25.11.20	009 (₹)	
(i) Security Deposit (SD)		8,00,000	
(ii) Preliminary Expenses		1,20,000	
(iii) Lease Fee		2,00,000	

[Rule 6, 13(1) of PNG Rules]

3.8 Execution of Lease Deed and payment of Stamp Duty

The GOI while granting PML instruct for execution of a separate lease deed in respect of such other covenants, terms and conditions as per prescribed format between the GoA and the Leaseholder before commencement of mining operation.

The Stamp Duty to be paid for the PML Deed is assessed as per the Indian Stamp Act, 1899 applicable in Assam. Section 26 of the said Act provides that for mining lease it would suffice the royalty estimated by the Collector for the purpose of levy of stamp duty

3.9 पट्टा विलेख का पंजीकरण

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (डी) अपेक्षा रखती है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे वाले अधिकारों को व्यक्त करने वाले विलेख को पंजीकृत किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 49 में अनुबंध किया गया है कि किसी भी गैर-पंजीकृत दस्तावेज़ को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए किसी वाद में संविदा के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपेक्षित पंजीकरण शुल्क का भुगतान पट्टा विलेख के पंजीकरण के समय सरकारी खाते में किया जाना चाहिए ।

3.10 पट्टे पर उठाए गए क्षेत्रों का सर्वेक्षण

पीएनजी नियमों का नियम 15 अनुबंध करता है कि मंजूरी के समय या पट्टे वाली अवधि के दौरान किसी समय राज्य सरकार का विचार है कि पट्टे पर उठायी गई भूमि का सर्वेक्षण आवश्यक है तो ऐसी भूमि का सर्वेक्षण पट्टेदार के खर्च पर अर्हताप्राप्त सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा।पट्टेदार सर्वेक्षक को राज्य सरकार के ऐसे पट्टे द्वारा कवर की गई भूमि का 10,000 रू. पुनःसर्वेक्षण शुल्क का भुगतान करेगा।

3.11 खनिज तेल पर रॉयल्टी का भुगतान

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास अधिनियम, 1948 और पीएनजी नियम, 1959 अनुबंध करता है कि खनन पट्टे का धारक पट्टाकृत क्षेत्र से अपने द्वारा खनित, खदानित, उत्खिनत या संगृहीत खिनज तेल के बारे में उस दर से रॉयल्टी का भुगतान करेगा जो अधिनियम की अनुसूची में तत्समय विनिदिष्ट हो (वर्तमान में कच्चे तेल के लिए वेल हेड की कीमत का 20 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की प्रशासनिक कीमत का 10 प्रतिशत) रॉयल्टी मासिक आधार पर देय होगी तथा उस अविध के बाद वाले माह के अंतिम दिन भुगतान की जाएगी जिसके संबंध में यह देय है।

रॉयल्टी का निर्धारण खनिज तेल , प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता और कीमत के आधार पर किया जाता है ।

3.12 अनिवार्य किराए का भगतान

अनिवार्य किराया खानों को निष्क्रिय रखने के लिए खनन पट्टों के पट्टाधारकों की प्रवृत्ति के खिलाफ एक निवारक है। खनन क्षेत्र में ऐसी संभावना है कि कोई पट्टेदार अपने प्रतिद्वंद्वी को खनिजयुक्त भूमि का आकलन करने से रोक सकता है जिससे खनिजों के उत्पादन को कृत्निम कमी के कारण रोका जा सकता है और राज्य सरकार को रॉयल्टी राजस्व से वंचित किया जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से प्रोद्भृत होता है। अतः अनिवार्य किराए का खनिज संसाधनों के आर्थिक महत्व से कुछ संबंध होता है जो पट्टाधारकों द्वारा खाली रखे जाते हैं।

पीएनजी नियमों के अनुसार विहित है कि पट्टेदार प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धारित वार्षिक अनिवार्य किराए का भुगतान करेगा, बशर्ते कि पट्टेदार केवल अनिवार्य किराए या रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो भी राशि में अधिक हो लेकिन दोनों नहीं :-

3.9 Registration of Lease Deed

Section 17(1) (d) of the Registration Act, 1908 requires that the deed conveying lease hold rights for the period beyond one year should be registered. Further, Section 49 of the Act stipulates that any un-registered document may not be treated as evidence of contract in a suit for specific performance. Requisite registration fee should be payable to the Government Account at the time of registration of lease deed.

3.10 Survey of leased areas

Rule 15 of PNG Rules stipules that if at the time of the grant or any time during lease period, State Government is of opinion that survey of the leased land is necessary, such land shall be surveyed by a qualified surveyor at the expenses of the leasee. The lessee shall pay surveyor re-survey fee of ₹ 10,000 of the land covered by such lease to the State Government.

3.11 Payment of Royalty on Mineral Oil

The Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 and the PNG Rules, 1959 stipulate that the holder of mining lease shall pay royalty in respect of any mineral oil mined, quarried, excavated or collected by him from the leased area at the rate for the time being specified (at present 20 per cent of well head price for crude oil and 10 per cent of administrative price of natural gas) in the Schedule of the Act. The royalty shall be payable on monthly basis and shall be paid by the last day of the month succeeding the period in respect of which it is payable.

Assessment of royalty is being done on the basis of quantity and price of Mineral Oil, Natural Gas.

3.12 Payment of Dead Rent

Dead rent is a deterrent against the tendency of leaseholders of mining lease from keeping the minerals resources idle. In the mining sector, there is a possibility that a lessee may deliberately prevent his competitor from accessing the mineral bearing land, thereby preventing production of minerals leading to artificial scarcity and also depriving the State Government from the royalty revenue which may accrue normally. Therefore, dead rent has some relationship with economic values of mineral resources which are kept idle by the lessees.

As per PNG Rules prescribed that the lessee shall pay for every year fixed yearly dead rent at the following rates, provided that lessee shall be liable to pay only the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount but not both:

अवधि	पहले 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए (रू प्रति हेक्टेयर या उसका भाग)	100 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत के लिए (रू प्रति हेक्टेयर या उसका भाग)
01.04.2003 से पूर्व	12.50	25
01.04.2003 से 24.11.2009 तक	25	50
25.11.2009 से आगे	100	200

3.13 भतल किराए का भगतान

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959 के नियम 13 (2) (बी) में यह प्रावधान है कि पट्टेदार को भूमि के क्षेत्र के लिए भूतल किराए का भुगतान करना होता है, जिसका उपयोग उसके द्वारा वास्तव में भूमि के नीचे किए गए कार्यों के उद्देश्य से किया जाता है और ऐसी दर पर भुगतान करना होता है जो केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट भूमि पर आकलन किए गए या आकलन किए जाने योग्य भूमि राजस्व और उपकर से अधिक नहीं होता है ।

3.14 विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर

पीएनजी नियमों के नियम 23 में आगे कहा गया है कि सभी लाइसेंस फीस, लीज फीस, रॉयल्टी और अन्य भुगतान का यिद विनिर्दिष्ट अविध के भीतर भुगतान नहीं किया जाता तो विलंबित अविध के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) पर 200 आधार अंकों की दंड दर से वृद्धि की जाएगी।

प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) बैंकों द्वारा उनके सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और अधिक ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए अल्पकालिक ऋण पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर है। इस दर का उपयोग अन्य उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों की गणना के लिए एक गाइड के रूप में किया जाता है। भारत में 1978 से 2017 तक औसत उधार दर 13.75 प्रतिशत है।

3.15 विवरणी और मुल्यांकन

पट्टेदार, हर महीने के पहले सात दिनों के भीतर या ऐसे आगे के समय में जिसकी केंद्र या राज्य सरकार अनुमति प्रदान करती है, एक पूर्ण और उचित विवरणी पिछले माह के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए और नियमों के तहत् अनुसूची में यथानिर्धारित फार्म में प्रस्तुत कर सकता है या प्रस्तुत करने का कारण हो सकता है।

इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, यदि यह मानती है कि इस नियम के अनुसार प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किसी भी कच्चे तेल ,केसन शीर्ष द्रवण या प्राकृतिक गैस की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे कच्चे तेल, केसन शीर्ष द्रवण या प्राकृतिक गैस की मात्रा निर्धारित कर सकती है और रॉयल्टी का भुगतान इस प्रकार मूल्यांकित मात्रा के संबंध में किया जाएगा।

[पीएनजी नियम का नियम 14 (2) और (3)]

	Area (₹ per hectare or	For exceeding100 Sq. Km. Area (₹ per hectare or part thereof)
Prior to 01.04.2003	12.50	25
From 01.04.2003 to 24.11.2009	25	50
From 25.11.2009 onwards	100	200

3.13 Payment of Surface Rent

Rule 13 (2) (b) of the Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959, provides that the lessee has to pay surface rent for the area of land actually used by him/her for the purpose of operations conducted under the land, at such rate not exceeding the land revenue and cess assessed or assessable on the land as specified by the State Government with the approval of the Central Government.

3.14 Rate of interest for delay payment

Rule 23 of the PNG Rules further provide that all licence fee, lease fees, royalties and other payments, if not paid within the specified time, would be increased by a penal rate of 200 basis points over the prime lending rate (PLR) of State Bank of India (SBI) for the delayed period. The prime lending rate (PLR) is the interest rate charged by the banks to their largest, most secure and more credit worthy customers on short term loans. This rate is used a guide for

computing interest rates for other borrowers. The average lending rate in India is 13.75 per cent

3.15 Return and Assessment

from 1978 to 2017.

The lessee shall within the first seven days of every month or within such further time as the Central or State Government, may allow, furnish or cause to be furnished a full and proper return showing the complete details of the preceding month and in the forms as prescribed in the schedule under rules.

On receipt of such report the State Government if it is of the opinion that the quantity of any crude oil casing head condensate or natural gas declared in the return furnished in accordance with the rule is too low, may determine the quantity of such crude oil casing head condensate or natural gas and royalty shall be paid on the quantity so assessed.

[Rule 14(2) & (3) of PNG Rules]

अध्याय− ፲ ∨

<u>खनिज</u>

4.1 परिचय

खनिज मीटे तौर पर (1) मुख्य खनिजों और (2) गौण खनिजों में वर्गीकृत किए गए हैं ।

मुख्य खनिज खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक खनिज हैं।

गौण खनिज से इमारती पत्थर, बजरी, मामूली मृत्तिका, विहित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बालू से भिन्न मामूली बालू और कोई ऐसा खनिज अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्न में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित करें।

गौण खनिज पर्यावरण और वन विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।

4.2 महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

- (ii) <u>खनन पट्टा</u> खनन पट्टा से खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने के प्रयोजनार्थ अनुदत्त पट्टा अभिप्रेत है और ऐसे प्रयोजनार्थ अनुदत्त उप – पट्टा इसके अंतर्गत है । (धारा3 (ग))
- (iii) <u>खनन संक्रिया</u> —खनन संक्रियाएं से किसी खनिज को लब्ध करने के प्रयोजनार्थ की गई कोई भी संक्रियाएं अभिप्रेत है। (धारा 3 (घ))
- (iv) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति से पूर्वेक्षणसंक्रियाओं का उपक्रम करने के प्रयोजनार्थ अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है। (धारा3(छ)
- (V) <u>भूमीक्षण अनुज्ञापत्</u> भूमीक्षण अनुज्ञापत्र से भूमीक्षण संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए अनुदत्त अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है। (धारा 3) (एच.बी.)

4.3 भूमीक्षण अनुज्ञापत या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा (एम एल) के लिए अवधि

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार , भूमीक्षण अनुज्ञापत्न या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति में 3 वर्ष से अधिक के लिए वृद्धि नहीं की जाएगी । ये लाइसेंस नवीकरण के अधीन है बशतें कि कुल अविध 5 वर्ष से अधिक न हो । अधिनियम की घारा 8(1) के अनुसार जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकता है, 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम अविध 20 वर्ष से कम नहीं होगी। धारा 8(2) के अनुसार खनन पट्टे को अधिकतम 20 वर्ष की अविध के लिए नवीकृत किया जाएगा ।

CHAPTER IV

Minerals

4.1 Introduction

Minerals are broadly divided into (1) Major Minerals and (2) Minor Minerals

Major minerals are industrial minerals specified in Second Schedule of Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957.

Minor minerals mean building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes, and other mineral which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a minor mineral.

Minor Minerals are administered by the Environment and Forest department, Assam

4.2 Important Definitions

- (i) Minerals: Minerals include all minerals except oil. [Section 3(a)]
- (ii) Mining Lease: Mining lease means a lease granted for the purpose of undertaking mining operations, and includes a sub-lease granted for such purpose. [Section3(c)].
- (iii) Mining Operation: Mining Operations mean any operation undertaken for the purpose of winning any mineral. [Section 3(d)]
- (iv) **Prospecting License:** Prospecting license means a license granted for the purpose of undertaking prospecting operations. [Section 3(g)]
- (v) **Reconnaissance Permit:**Reconnaissance permit means a permit granted for the purpose of undertaking reconnaissance operations. [section 3(hb)]

4.3 Periods for reconnaissance permit or prospecting licence or Mining Lease (ML)

As per section 7 of the Act, a reconnaissance permit or prospecting licence shall not exceed 3 years. These licences are subject to renewal provided total period does not exceed five years.

As per section 8(1) of the Act, the maximum period for which a mining lease may be granted shall not exceed 30 years, the minimum period shall not be less than 20 years. As per section 8(2) a mining lease may be renewed for a period not exceeding 20 years.

4.4 पदा विलेख का निष्पादनऔर स्टांप ड्यूटी का भगतान

खनन कार्य आरंभ किए जाने से पूर्व गोवा और पट्टाधारक के बीच यथा निर्धारित फार्मेट के अनुसार ऐसी अन्य प्रसंविदाओं, निबंधनों और शर्तों के संबंध में अलग पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए ।

पीएमएल विलेख के लिए भुगतान की जाने वाली स्टांप ड्यूटी का मूल्यांकन, असम में लागू भारतीय स्टांप अधिनियम **1899** के अनुसार किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा **26** में यह प्रावधान है कि खनन पट्टे के लिए, यह स्टांप शुल्क की वसूली के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा अनुमानित रॉयल्टी को पूरा करेगा।

4.5 पदा विलेख का पंजीकरण

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (डी) अपेक्षा रखती है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे वाले अधिकारों को व्यक्त करने वाले विलेख को पंजीकृत किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा **49** में अनुबंध किया गया है कि किसी भी गैर-पंजीकृत दस्तावेज़ को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए किसी वाद में संविदा के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता । अपेक्षित पंजीकरण शुल्क का भुगतान पट्टा विलेख के पंजीकरण के समय सरकारी खाते में किया जाना चाहिए।

4.6 पट्टे पर उठाए गए क्षेत्रों का सर्वेक्षण

एमसीआर के नियम **33** के अनुसार जब कोई खनन पट्टा प्रदान किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार के खर्च परपट्टे के तहत प्रदान किए गए पट्टा क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए प्रबंध किए जाने चाहिए ।

4.7 अप्रवर्ती खानों के पट्टे का रहकरण

एमसीआर, 1960 के नियम 28 के तहत, जहाँ खनन कार्य पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो साल के भीतर शुरू नहीं होता है, या ऐसे कार्यों के शुरू होने के बाद दो साल की निरंतर अविध के लिए बंद कर दिया जाता है तो, राज्य सरकार आदेश द्वारा, खनन पट्टे को व्यपगत घोषित करें और पट्टेदार को इस निर्णय को बताएं। यदि कोई पट्टेदार खनन कार्य पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो साल के भीतर खनन कार्य शुरू नहीं कर पाता है या उन कारणों की वजह से दो वर्ष से अधिक अविध के लिए खनन कार्यों को बंद कर देता हैजो उसके नियंत्रण के बाहर है तो ऐसी अविध की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व उस के कारण स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

राज्य सरकार खनन कार्यों के शुरू न होने या उसके बंद होने के कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने और किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, पट्टे की अवधि को बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर सकती है या इनकार कर सकती है।

4.4 Execution of Lease Deed and payment of Stamp Duty

A separate lease deed in respect of such other covenants, terms and conditions as per prescribed format between the GoA and the Leaseholder before commencement of mining operation should be executed.

The Stamp Duty to be paid for the PML Deed, is assessed as per the Indian Stamp Act, 1899 applicable in Assam. Section 26 of the said Act provides that for mining lease it would suffice the royalty estimated by the Collector for the purpose of levy of stamp duty.

4.5 Registration of Lease Deed

Section 17(1) (d) of the Registration Act, 1908 requires that the deed conveying lease hold rights for the period beyond one year should be registered. Further, Section 49 of the Act stipulates that any un-registered document may not be treated as evidence of contract in a suit for specific performance. Requisite registration fee should be payable to the Government Account at the time of registration of lease deed.

4.6 Survey of leased areas

Rule 33 of MCR, also provides that when a mining lease is granted, arrangements shall be made by the State Government at the expenses of the lessee for survey and demarcation of the area granted under lease.

4.7 Cancellation of lease of inoperative mines

Under Rule 28 of the MCR, 1960, where the mining operations are not commenced within a period of two years from the date of execution of the lease, or are discontinued for a continuous period of two years after commencement of such operations, the State Government shall, by an order, declare the mining lease as lapsed and communicate the decision to the lessee. Where a lessee is unable to commence the mining operation within a period of two years from the date of execution of the mining lease, or discontinues mining operations for a period exceeding two years for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period.

The State Government may on receipt of an application made and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of mining operations or discontinuance thereof, extending or refusing to extend the period of the lease.

4.8 खनन पट्टे का अंतरण

एमसीआर का नियम **37** अनुबंध करता है कि पट्टेदार राज्य सरकार की पूर्व अनुमित से खनन पट्टे को अंतरित कर सकता है और उसकी सरकार द्वारा तब तक अनुमित नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि अंतरिती वे सभी शर्ते तथा देयताएं स्वीकार नहीं कर लेता है जो कि अंतरणकर्ता ऐसे खनिज पट्टे के संबंध में धारण किए हुए था।

आगे, एमसीआर के नियम **47** के अनुसार खनिज पट्टे का प्रत्येक अंतरिती ऐसे अंतरण के एक माह के भीतर राज्य सरकार को ऐसे अंतरण के निबंधनों और शर्तों के संबंध में सूचित करेगा ।

एमसीआर का नियम 62 उपबंध करता है कि खनन पट्टे का धारक राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर किसी ऐसे परिवर्तन के बारे में सुचित करेगा जो उसके नाम, राष्ट्रीयता अन्य विवरण में होता है।

4.9 खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 के तहत, खनन पट्टे के धारक को अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्समय दर पर पट्टा क्षेत्र से खनिज निकालने या खपत करने पर रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक होता है ।

भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत, जिला परिषद रॉयल्टी के उस हिस्से के हकदार हैं, जो कि राज्य के समेकित निधि के माध्यम से रूट किए बिना उनसे संबंधित होगा पहाड़ी क्षेत्र विभाग, गोआ (GOA) ने (01.01 1983) जिला परिषदों के लिए खनिजों की रॉयल्टी के शेयरों के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की। यह निर्देश दिया कि देय रॉयल्टी का 60 प्रतिशत संबंधित पट्टा धारकों द्वारा संबंधित जिला परिषद के खाते के संगत प्राप्ति शीर्ष में सीधे भुगतान किया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार के खाते के संगत प्राप्ति शीर्ष में करना होगा। निदेशक, भूविज्ञान और खनन समय-समय पर सत्यापन कर सकता है कि पट्टाधारक जिला परिषद और राज्य सरकार को देय रॉयल्टी का भुगतान समय पर करें।

4.10 अनिवार्य किराए का भुगतान

अनिवार्य किराया खानों को निष्क्रिय रखने के लिए खनन पट्टों के पट्टाधारकों की प्रवृत्ति के खिलाफ एक निवारक है । खनन क्षेत्र में ऐसी संभावना है कि कोई पट्टेदार अपने प्रतिद्वंदी को खनिजयुक्त भूमि का आकलन करने से रोक सकता है जिससे खिनजों के उत्पादन को कृत्रिम कमी के कारण रोका जा सकता है और राज्य सरकार को रॉयल्टी राजस्व से वंचित किया जा सकता है जो स्वाभाविक रूप से प्रोद्भृत होता है। अतः अनिवार्य किराए का खिनज संसाधनों के आर्थिक महत्व से कुछ संबंध होता है जो पट्टाधारकों द्वारा खाली रखे जाते हैं।

4.8 Transfer of mining lease

Rule 37 of MCR stipulates that the lessee may transfer the mining lease with the previous consent of the State Government and the same may not be allowed by the Government unless the transferee has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such mining lease.

Further, as per Rule 47 of MCR, every transferee of a mining lease shall, within one month of such transfer, inform the State Government regarding terms and conditions of such transfer.

Rule 62 of MCR, provides that the holder of mining lease shall intimate to the State Government within sixty days any change that take place in his name, nationality or other particulars.

4.9 Payment of Royalty on Mineral

Under the Section 9 of the MMDR Act, 1957, the holder of a mining lease is required to pay royalty on removal or consumption of the mineral from the lease area at the rate for the time being specified in the Second Schedule of the Act.

Under the Sixth Schedule of the Constitution of India, the District Councils are entitled to such a share of royalty, which would belong to them without being routed through the Consolidated Fund of the State. The Hill Areas Department, GoA prescribed (01.01.1983) the procedure for payment of shares of royalty of minerals to District Councils and instructed that 60 *per cent* of the due royalty would be paid by the leaseholders straightaway into the relevant receipt head of account of the concerned District Council and the balance 40 *per cent* would be paid into receipt head of account of the State Government. The Director of Geology and Mining may periodically verify that the leaseholders pay due royalty to the District Councils and the State Government accordingly, in time.

4.10 Payment of Dead Rent

Dead rent is a deterrent against the tendency of leaseholders of mining lease from keeping the minerals resources idle. In the mining sector, there is a possibility that a lessee may deliberately prevent his competitor from accessing the mineral bearing land, thereby preventing production of minerals leading to artificial scarcity and also depriving the State Government from the royalty revenue which may accrue normally. Therefore, dead rent has some relationship with economic values of mineral resources which are kept idle by the lessees.

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 (ए) के तहत, खनन पट्टे का धारक पट्टा क्षेत्र के संबंध में रॉयल्टी या किराया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो भी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनिवार्य किराए की दरों के अनुसार अधिक होगा।

वर्ष	दरें (प्रति हेक्टेयर,प्रति वर्ष 01.09.2014 से)
दूसरे वर्ष	400
तीसरे एवं चौथे वर्ष	1000
पांचवें वर्ष से आगे	2000

4.11 भूतल किराए का भुगतान

एमसीआर के नियम **27** (घ) के अनुसार पट्टेदार को खनन कार्यों के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा प्रयुक्त भूतल क्षेत्र के लिए भूतल किराए और जल दर का भुगतान उस दर पर करना होगा जो राज्य सरकार द्वारापट्टे में यथानिर्दिष्ट भूमि पर आकलन किए जाने योग्य भूमिराजस्व, जल और उपकर से अधिक नहीं होता है ।

4.12 रॉयल्टी, अनिवार्य किराए ,भूतल किराए ,शुल्क आदि के विलंब से भगतान के लिए ब्याज दर

एमएमडीआर अधिनियम के तहत बनाए गए एमसीआर, **1960** के नियम **64A** के अनुसार, प्रति वर्ष **24** प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज किसी भी किराए, रॉयल्टी या शुल्क पर देय तिथि की समाप्ति के छठे दिन से लेकर भुगतान की तारीख तक लगाया जा सकता है।

4.13 विवरणी और मूल्यांकन

गोवा (GOA) ने पिछले महीने के दौरान उत्पादित खनिजों पर रॉयल्टी, किराया, शुल्क, आदि के भुगतान की अंतिम / देय तिथि के रूप में प्रत्येक कैलेंडर माह के 10 वें दिन (22.07.1988) को तय किया।

4.14 जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), ट्रस्ट

संशोधन अध्यादेश 2015 द्वारा यथा सम्मिलितएमएमडीआर अधिनियम ,1957 की धारा 9 बी, खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में 12 जनवरी 2015 से जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), गैर-लाभकारी संस्था की स्थापना का उपबंध करती है। भारत सरकार ने 12 जनवरी, 2015 से प्रभावी खान और खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 को अधिसूचित किया (17 सितंबर, 2015) नियमों के अनुसार खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे का प्रत्येक धारक, उस जिले जिसमें खनन कार्य किए जा रहे हैं , के संबंधित डीएमएफटी को रॉयल्टी के अतिरिक्त, भुगतान की गई रॉयल्टी के 10 प्रतिशत की दर से राशि का भुगतान करेगा (जिसके लिए लीज / लाइसेंस 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिया जाता है) या 12 जनवरी 2015 से पूर्व प्रदान किए गए खनन पट्टे के संबंध मेंभुगतान की गई रॉयल्टी के 30 प्रतिशत कीदर से राशि का भुगतान करेगा ।

Under section 9A of the MMDR Act, 1957, the holder of a mining lease shall be liable to pay either royalty, or the dead rent in respect of leased area, whichever is higher as per the rates of dead rentnotified by the Central Government time to time.

Year	Rates (per hectare per year w. e. f.
	01.09.2014)
2 nd year	400
3 rd & 4 th year	1000
5 th year onwards	2000

4.11 Payment of Surface Rent

As per Rule 27 (d) of MCR, the lessee shall pay, for the surface area used by him for the purpose of mining operations, surface area used by him for the purposes of mining operations, surface rent and water rate at such rate, not exceeding the land revenue, water and cesses assessable on the land, as may be specified by the State Government in the lease.

4.12 Rate of interest for delay payment of Royalties, Dead rent, Surface rent, fee, etc.

As per Rule 64A of the MCR, 1960 framed under the MMDR Act, simple interest at the rate of 24 *per cent* per annum may be charged on any rent, royalty or fee from the sixtieth day of expiry of due date to till date of payment.

4.13 Return and Assessment

The GoA fixed (22.07.1988) 10th day of each calendar month as the last/due date for payment of royalty, rent, fee, etc. on minerals produced during the preceding month.

4.14 District Mineral Foundation (DMF) Trust

Section 9B of the MMDR Act, 1957 as inserted by Amendment Ordinance 2015, provides establishment District Mineral Foundation (DMF), a non-profit body with effect from 12 January 2015 in any district affected by mining related operations. The GOI notified² (17 September 2015) the Mines & Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015 effective from 12 January 2015. As per Rules, every holder of a mining lease or prospecting licence cum mining lease shall in addition to the royalty, pay to the DMF of the District in which the mining operations are carried on, an amount @ 10 per cent of the royalty paid (for which lease licence granted on or after 12 January 2015) or @ 30 per cent of the royalty paid in respect of mining lease granted before 12 January 2015.

-

² Notification No. GSR 715 (E) dated 17.09.2015

डीएमएफ का मुख्य उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए इस प्रकार कार्य करना है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

गोवा ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफ), के गठन को अनुमोदन 3 (26 अगस्त, 2016) को प्रदान किया । गोवा, सचिव, खान और खनिज विभाग अवस्थापक की ओर से विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत था तथा खान और खनिज विभाग इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत था ।

4.15 राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) निधि

संशोधन अध्यादेश 2015 द्वारा यथा सम्मिलित एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी 12 जनवरी 2015 से गैर-लाभकारी संस्था के रूप में राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) निधि की स्थापना का उपबंध करतीहै। इस ट्रस्ट को अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार पट्टेदार द्वारा प्रदत्त रॉयल्टी के 2 प्रतिशत के समतुल्य भुगतान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इस नियम के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 को अधिसुचित किया (14 अगस्त, 2015) और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) की स्थापना की (14 अगस्त, 2015) न्यास का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और विस्तृत खोज कार्यकलाप करना है जिसमें खनिज विकास के लिए विशेष अध्ययन, उन्नत वैज्ञानिक प्रौद्योगिक पद्धतियों का स्थायी खनन अंगीकरण और खनिज निष्कर्षण धातु कर्मिकी शामिल है ।

भारत सरकार ने (14 सितंबर 2015) को निर्देश दिया कि रॉयल्टी के सभी भुगतान रॉयल्टी के 2 प्रतिशत की दुर पर एनएमईटी घटक के साथ एकल किए जाने चाहिए और एनएमईटी के लिए अनिवार्य योगदान के बिना किसी भी रॉयल्टी भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एनएमईटी के प्रति भुगतान की देयता सभी रॉयल्टी भुगतानों पर 12 जनवरी 2015 से प्रोद्भुत होती है। अतः एनएमईटी निधि के लिए देय राशि 12 जनवरी 2015 से पट्टेदार से वस्ल किए जाने की जरूरत है।

अधिस्चना सं.पीईएम 40/2015/101 तारीख 26.08.2016

अधिसूचना सं.जीएसआर 632 (ई) 4.

तारीख 14.08.2015

5. अधिसूचना सं 633 (ई) तारीख 14.08.2015

पत्न सं. फ.सं.6/1/2015-एनएमईटी

तारीख 14.09.2015

The main objective of the DMF is to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining related operation in such manner as may be prescribed by the State Government.

The GoA accorded approval³ (26 August 2016) for constitution of the District Mineral Foundation (DMF) Trust. The Secretary to GoA, Mines and Mineral Department was authorised to sign the Deed on behalf of the Settlor and the Department of Mines and Minerals was authorised to take all necessary action in this regard.

4.15 National Mineral Exploration Trust (NMET) Fund

Section 9C of the MMDR Act, 1957 as inserted by Amendment ordinance 2015, provides for setting up of a National Mineral Exploration Trust (NMET) as a non-profit body with effect from 12 January 2015. This trust is to be funded by a payment equivalent to 2 *per cent* of the royalty paid by the lessee as per the second schedule of the Act. Pursuant to this provision GOI notified⁴ (14 August 2015) the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 and set up⁵ (14 August 2015) the National Mineral Exploration Trust (NMET).

The main objective of the trust is to carry out regional and detailed exploration activities including special studies for mineral development, sustainable mining adoption of advanced scientific technological practices and mineral extraction metallurgy, etc.

The GOI instructed⁶ (14 September 2015) that all payments of royalty must be collected along with NMET fund component @ 2 per cent of the royalty and no royalty payment should be accepted without the mandatory contribution towards the NMET fund. The liability of payment towards NMET fund accrues from 12 January 2015 on all royalty payments. Therefore, the amount due towards the NMET fund needs to be collected from the lessee with effect from 12 January 2015.

⁶ Letter no. F. No. 6/1/2015-NMET dated 14.09.2015

³ Notification No. PEM.40/2015/101 dated 26.08.2016

⁴ Notification No. GSR 632 (E) dated 14.08.2015

⁵ Notification No.633 (E) dated 14.08.2015

<u>अध्याय-V</u>

आंतरिक नियंत्रण

5.1 आंतरिक नियंत्रण के घटक

अांतरिक नियंत्रण यह उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है कि इकाई के सामान्य उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए स्पष्ट उद्देश्य प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए पूर्वापेक्षा है। आंतरिक नियंत्रण में पांच परस्पर संबंधित घटक शामिल होते हैं अर्थात नियंत्रण परिवेश, जोखिम निर्धारण, नियंत्रण कार्यकलाप, सूचना और संप्रेषण तथा मॉनीटरन । नियंत्रण परिवेश समग्र आंतरिक प्रणाली की नींव है। यह अनुशासन और संरचना के साथ-साथ वह वातावरण भी प्रदान करता है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि कार्यनीति और उद्देश्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं तथा नियंत्रण आंतरिक नियंत्रण कार्यकलाप कैसे संरचित किए जाते हैं। स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करके और प्रभावी नियंत्रण परिवेश तैयार करके उस जोखिम का आकलन करना जो किसी इकाई को अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उठाना पड़ता है, जोखिम के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया विकसित करने का आधार प्रदान करता है।

जोखिम को कम करने की मुख्य कार्य नीति आंतरिक नियंत्रण कार्यकलाप हैं। सुधारात्मक कार्य आंतरिक नियंत्रण कार्यकलापों के लिए आवश्यक संपूरक है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । नियंत्रण कार्यकलाप और सुधारात्मक कार्यों द्वारा धन को महत्व दिया जाना चाहिए । उनकी लागत उनके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रभावी सूचना और संप्रेषण किसी इकाई को चलाने और उसके संचालन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इकाई प्रबंधन को आंतरिक के साथ—साथ बाहरी घटनाओं से संबंधित प्रासंगिक, विश्वसनीय, समय पर सूचना की आवश्यकता होती है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी इकाई में सूचना की आवश्यकता होती है। अतः चूंकि आंतरिक नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसे लगातार ऐसे जोखिमों और परिवर्तनों के लिए अपनाया जाना चाहिए जिसका किसी संगठन को सामना करना पड़ता है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मॉनीटरन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण परिवर्तित उद्देश्यों पर्यावरण, संसाधनों और जोखिमों के लिए तैयार रहता है।

5.2 भिमका और उत्तरदायित्व

आंतरिक नियंत्रण के लिए संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ उत्तरदायित्व हैं । कर आयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहित संगठन के सभी कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। उसके उत्तरदायित्व संगठन में उसके कार्य और संगठन की विशेषताओं के आधार पर अलग–अलग होते हैं ।

आंतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक नियंत्रण और संस्तुत सुधारों की प्रभावकारिता की जांच करते हैं किन्तु उनका आंतरिक नियंत्रण के लिए अपने स्टाफ सदस्यों के योगदान को निर्धारित करने या उसे बनाए रखने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व नहीं होता है । आंतरिक नियंत्रण प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों का स्पष्ट तथा अंतर्निहित हिस्सा हैं ।

CHAPTER V

INTERNAL CONTROL Components of Internal Control

Internal control is designed to provide reasonable assurance that the entity's general objectives are being achieved. Therefore, clear objectives are prerequisite for an effective internal control process. Internal control consists of five inter-related components i.e. control environment, risk-assessment, control activities, information and communication and monitoring. The Control environment is the foundation for the entire internal control system. It provides the discipline and structure as well as the climate, which influences the overall quality of internal control. It has overall influences on how strategy and objectives are established and control activities are structured. Having set clear objectives and established an effective control environment, an assessment of the risks facing the entity as it seeks to achieve its objective provides the basis for developing an appropriate response to risk.

The major strategy for mitigating risk is through internal control activities. Corrective actions are necessary complement to internal control activities in order to achieve the objectives. Control activities and corrective actions should value for money. Their cost should not exceed the benefit resulting from them.

Effectiveness information and communication is vital for an entity to run and control its operations. Entity management needs access to relevant, reliable, timely communication related to internal as well as external events. Information is needed throughout the entity to achieve its objectives. Finally, since internal control is a dynamic process that has to be adopted continuously to the risks and changes an organization faces, monitoring of the internal control system is necessary to ensure that the internal control remains tuned to the changed objectives, environment, resources and risks.

5.2 Roles and Responsibilities

5.1

Everyone in an organization has some responsibilities for internal control. Commissioner of Taxes is directly responsible for all activities of the organization, including the internal control system. His responsibilities vary depending on his function in the organization and the organization's characteristics.

Internal auditors examine the effectiveness of internal control and recommended improvement, but they don't have primary responsibility for establishing or maintaining it अांतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक नियंत्रण और संस्तुत सुधारों की प्रभावकारिता की जांच करते हैं किन्तु उनका आंतरिक नियंत्रण के लिए अपने स्टाफ सदस्यों के योगदान को निर्धारित करने या उसे बनाए रखने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व नहीं होता है । आंतरिक नियंत्रण प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों का स्पष्ट तथा अंतर्निहत हिस्सा हैं सभी स्टाफ सदस्यों की आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भिमका होती है। उन्हें समस्याओं या संचालन की रिपोर्ट करने, आचार संहिता का पालन न करने या नीतियों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। वे संस्था के उद्देश्य प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं या आंतरिक नियंत्रण को प्रभावित करने वाली कोई महत्वपर्ण सूचना दे सकते हैं। तथापि वे संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना या प्रचालन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं ।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाएँ (एसएआईएस) सरकार में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की स्थापना को प्रोत्साहित करती हैं और समर्थन करती हैं। आंतरिक नियंत्रण का मूल्याकंन एसएआई के अनुपालन, वित्तीय और कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक है। एसएआई को अपने निष्कर्ष तथा सिफारिशें विभागों को भेजनी चाहिए।

बाहय लेखापरीक्षक सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। उन्हें और उनके व्यावसायिक निकायों को आंतरिक नियंत्नण पर सलाह तथा सिफारिशें प्रदान करनी चाहिए।

5.3 लेखापरीक्षा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

आमतौर पर, लेखापरीक्षा में यह देखा जाएगा कि आंतरिक प्रक्रियाएँ माँग, संग्रह और धन वापसी के नियमित लेखा-जोखा को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखती हैं और सरकार के प्रति देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारण के इसकी बहियों में बकाया नहीं रहती है और दावों का यथोचित तत्परता के साथ अवलोकन किया जाता है तथा पर्याप्त औचित्य और समुचित प्राधिकार के बिना छोड़े या कम नहीं किए जाते हैं ।

मूल्यांकन और धनवापसी के संबंध में लेखापरीक्षा का विषय – क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस तरह की नमूना जाँच द्वारा जो यह आवश्यक समझता है , स्वयं को संतुष्ट करना है जो कि आंतरिक प्रक्रियाएं पर्याप्त रूप से संभव बनाती हैं एवं वास्तव में सुनिश्चित करती है कि :

- 🛾 🗓 कानून के तहत मांग या वापसी की गणना के लिए आवश्यक डाटा का संग्रह और उपयोग ।
- II. विभिन्न शुल्क, किराए और रॉयल्टी आदि की गणना तथा वसूली लागू कानुनो के अनुसार है।
- III. कानून द्वारा विहित तरीके से मांगों को शीघ्र प्रस्तुत करना।
 - IV. मांगों, वसूली और धनवापसी का नियमित लेखा-जोखा;
 - V. वसूली का सही लेखा और उसके सरकारी लेखे के समुचित शीर्ष में जमा करना ।
 - VI. संगत और अपेक्षित रिकॉर्ड समुचित ढंग से रखे जाते हैं।
- VII. यह सुनिश्चित करने के लिएसुरक्षा के समुचित इंतजाम हैं कि करों को वसूलने या एकत्न करने या धनवापसी को प्राधिकृत करने में कोई चूक या लापरवाहीनहीं है ।
- VIII. राजस्व के नुकसान या रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त नियंलण और निगरानी तंल तैयार किए गए हैं।
 - IX. इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों में लुटियों से बचने के कारण राजस्व की कोई हानि या रिसाव नहीं है।

Internal auditors examine the effectiveness of internal control and recommended improvement, but they don't have primary responsibility for establishing or maintaining it. Staff members contribute to internal control as well. Internal control is an explicit or implicit part of everyone's duties. All staff members play a role in effecting control and should be responsible for reporting problems or operations, non-compliance with the code of conduct or violation of policy. External parties also play an important role in the internal control process. They may contribute in achieving the organisation's objectives, or any provide information useful to effect internal control. However they are not responsible for the establishment or operation of the organisation's internal control system.

Supreme Audit Institutions (SAIs) encourage and support the establishment or effective internal control in the government. The assessment of internal control is essential to the SAI's compliance, financial and performance audit. SAI's should communicate their findings and recommendations to the departments.

External Auditors audit Government departments. They and their professional bodies should provide advice and recommendations on internal control.

5.3 Roles and Responsibilities of Audit

Ordinarily, audit will see that the internal procedures adequately secure correct and regular accounting of demand, collection and refunds, that no amounts due to Government remain outstanding in it's books without sufficient reason and that the claims are perused with due diligence and are not abandoned or reduced except with adequate justification and with proper authority.

To some of the most important function of the audit and area of audit concern in relation to assessment and refunds is to satisfy itself by such test checks as it may consider necessary that the internal procedures adequately provided for and actually ensure.

- (i) The collection and utilisation of data necessary for the computation of the demand or refund under law.
- (ii) Computation and realisation of various fees, rents, royalties. are in accordance with the application of laws.
- (iii) Prompt raising of demands in the manners as prescribed by law.
- (iv) Regular accounting of demands, collection and refund.
- (v) Correct accounting of collections and deposit of the same to proper head of Government account.
- (vi) That the relevant and requisite records are being maintained properly;
- (vii) Proper arrangements are in place to safeguard against negligence or omission to levy or collect taxes or to authorise refunds.
- (viii) Adequate control and monitoring mechanisms have been devised to prevent loss or leakage of revenue;
- (ix) That there has not been any loss or leakage of revenue on account of lacunae or loopholes in the rules framed for the purpose or on

अध्याय-VI

लेखापरीक्षा जांच और जांच किए जाने वाले रिकार्ड

6.1 लेखापरीक्षा में जांच किए जाने वाले मुद्दे :-

- 1. एसजीपीबी बैठक की कार्रवाई के ब्योरे।
- 2. एसजीपीबी की पिछली बैठक में निर्दिष्ट कार्यक्रम की लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट।
- 3. लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आबंटित निधि की स्थिति।
- 4. खनिज जांच परिणाम का प्रयोग ।
- 5. खनिज जांच आउटकम का प्रयोग ।
- 6. लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने के कारण., यदि कोई हैं।
- 7. परिमट/लाईसेंस के लिए आवेदन निर्धारित फार्मेंट में किया गया है।
- 8. प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न है।
- 9. सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद परिमट/लाईसेंस /पट्टा प्रदान करने से इंकार करना और कारण लिखित में दर्ज करना तथा आवेदक को सूचित करना ।
- 10. परिमट/लाईसेंस /पट्टा जारी करते समय विहित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है
- 11. पट्टेदार ने विहित सांविधिक शुल्क समय पर जमा किया है।
- 12. खनन पट्टे के लिए विलेख समुचित स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद निष्पादित किया गया है।
- 13. किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में, सरकार ने समुचित कार्रवाई आरंभ की है।
- 14. सम्चित फार्म में विवरणियां समय पर प्रस्तुत की जाती हैं ।
- 15. विभिन्न शुल्क, किराए, रॉयल्टी आदि की गणना और वसूली के लिए पर्याप्त प्रणालियां एवं पद्धतियाँ विद्यमान हैं।
- 16. राजस्व के नुकसान या रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी तंत्र तैयार किए गए हैं।
- 17. संगत रिकार्ड समुचित ढंग से रखे गए हैं।
- 18. खनन कार्य खनन योजना के अनुसार किए जाते हैं।
- 19. पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक पर्यावरण मंज्री ।

CHAPTER VI

Audit Check and records to be checked

6.1 Issues to be examined in audit

It should be seen that

- Details of proceedings of SGPB meeting
- Details report regarding achievement of target of programme set out in previous meeting of SGPB
- Position of fund allocated to achieve the target
- Outcome of mineral investigation carried out
- Use of mineral investigation outcome
- Reason of non-achievement of target, if any
 - Application for permit/license has been made in the prescribed format
 - Every such application has been accompanied by prescribed fee
 - Refusal to grant permit/license/lease after giving an opportunity of being heard and for reason to be recorded in wring and communicated to the applicant
 - All the conditions prescribed at the time of issuing permit/license/lease have been complied with
 - The leasee has deposited prescribed statutory fee in time
 - Deed for mining lease has been executed after paying proper stamp duty and registration fee
 - In the case of breach of any condition, the State Government has initiated appropriate action
 - Returns in proper form are being submitted in time
 - Adequate systems and procedures exit for the computation and realisation of various fees, rents, royalty, etc.
 - Adequate control and monitoring mechanisms have been devised to prevent loss or leakage of revenue
 - The relevant records have been maintained properly
 - The mining operations are in accordance with the mining plans
 - Environment clearance required from the Ministry of Environment and Forest, Pollution Control Board

6.2 लेखापरीक्षा में जांच किए जाने वाले मुद्दे

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित रिकार्डों की जांच की जाए:-

- 1. एसजीपीबी बैठक का कार्यवृत
- 2. बैठक में निर्धारित लक्ष्य के ब्योरें
- 3. खनिज खोज के लिए किए गए व्यय और आबंटित बजट की स्थिति
- 4. खनिज खोज की रिपोर्ट
- 5. प्रयोगशाला नम्ना जांच रिपोर्ट
- 6. मशीनरी, उपकरण और मानव संसाधनों का उपयोग
- 7. परिमट, लाईसेंस लीज के लिए आवेदन का रजिस्टर
- 8. प्रतिभूति जमा का रजिस्टर
- 9. सांविधिक शुल्क प्राप्त करने का रजिस्टर
- 10. मांग, वसूली और शेषन (डीसीबी) रजिस्टर/विवरण
- 11. खनन पट्टा विलेख, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का डिपॉजिट चालान
- 12. मासिक विवरणियों की प्राप्ति का रजिस्टर
- 13. अनिवार्य किराया रजिस्टर
- 14. भूतल किराया रजिस्टर
- 15. रॉयल्टी का रजिस्टर
- 16. धन-वापसी का रजिस्टर
- 17. खनन राजस्व की मांग और वसूली का रजिस्टर
- 18. राज्य सरकार तथा पट्टाधारकों के पास पताचार फाइलें
- 19. रॉयल्टी फाइलों का मूल्याकंन
- 20. समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्नों अधिसूचनाओं, अनुदेशों से संबंधित फाइलें
- 21. उत्पादन. प्रदत्त रॉयल्टी आदि से संबंधित लाइसेंसधारकों/पट्टाधारकों से प्राप्त रिपोर्टों/ विवरिणयों की उनके संबद्घ वार्षिक खातों/रिपोर्टों से दुतरफा पड़ताल।

6.2 Issues to be examined in audit

The following records to be checked in audit-

- ➤ Minutes of SGPB meetings
- > Details of target set in meetings
- ➤ Position of Budget allotted and expenditure incurred for Mineral investigation
- > Report of Mineral Investigation
- ➤ Laboratory sample test report
- ➤ Utilisation of machineries, equipment and Human resources
- ➤ Register of applications for permits, license, lease
- > Register of security deposit
- > Register of receiving statutory fees
- ➤ Demand, Collection and Balance (DCB) Register/ Statement
- Mining Lease Dead, deposit challans of stamp duty & registration fee
- Register of receipt of monthly returns
- Deed Rent Register
- Surface Rent Register
- Register of royalty
- > Register of refunds
- > Register of demand and collection of mining revenue
- ➤ Correspondence files with the State Government and the lease holders
- > Assessment of royalty files
- Files relating to different circulars, notifications, instruction, issued time to time
- ➤ Cross checking of reports/returns received from licensees/Lessees relating to productions, royalty paid etc. with their respective Annual accounts/Report.